

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा।

सूचना।

एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की आगामी बैठक दिनांक 27.11.2023 (सोमवार) को 11.30 बजे पूर्वाहन में आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जायेगी।

- विहित प्रपत्र में आवेदक परमिट हेतु आवेदन, विहित शुल्क की पूर्ण राशि के चालान एवं सभी अद्यतन कागजातों के साथ दिनांक 09.11.2023 तक परिवहन विभाग के VAHAN CITIZEN PORTAL पर Online आवेदन दे सकते हैं, एवं उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय के आवेदन-पेटिका में दिनांक 10.11.2023 के अपराह्न 04.00 बजे तक जमा करेंगे।
- आवेदित मार्ग 3 या तीन से अधिक प्राधिकार क्षेत्र के लिए अनुमान्य नहीं होगा, अर्थात् इस प्राधिकार क्षेत्र से पटना जाने वाली बसों को हाजीपुर होकर जाने के लिए स्टेज कैरेज परमिट हेतु आवेदन नहीं दिया जाएगा।
- प्रकाशित कार्यवली के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपत्तिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 16.11.2023 से दिनांक 22.11.2023 तक अपनी आपत्ति कार्यालय में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। बैठक की तिथि दिनांक 27.11.2023 को निर्धारित समय पर आवेदक एवं आपत्तिकर्ता की उपस्थिति सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ बांधित होगी।
- बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। एक प्रतिनिधि मात्र एक वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
- पूर्व से परमिटधारी वाहन स्वामी संबंधित वाहन के नए समय-सारणी हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ पूर्व में निर्गत परमिट की छायाप्रति एवं उक्त परमिट के प्रत्यर्पण हेतु शपथ पत्र भी आवेदन के साथ आवेदन-पेटीका में जमा करना सुनिश्चित करें। (नोट-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से निर्गत स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से 6 माह के बाद ही किया जाएगा।)
- इस विषय पर उस प्राधिकार, विभाग एवं सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशादि प्रभावी होंगे।
- परिवहन विभाग के पत्रांक 5518 दिनांक 02.09.2021 के आलोक में दिनांक 09.02.2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार के बैठक में नीतिगत मामले-2 के अन्तर्गत परमिट संबंधी आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले निम्नांकित कागजातों एवं शुल्क को संलग्न करना अनिवार्य है।
- नया स्टेज कैरेज परमिट हेतु Online आवेदन में 1. वाहन का निबंधन पुस्त (व्हील बेस, बैठान क्षमता एवं मॉडल वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो)। 2. अद्यतन कर भुगतान का प्रमाण पत्र रसीद/ 3. अद्यतन बीमा कागजात। 4. दुरुस्ती प्रमाण पत्र। 5. समय-सारणी (छः प्रति में)। 6. कुल दूरी एवं मार्ग संख्या सहित मार्ग का नक्सा (अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग हेतु)। 7. वाहन स्वामी का पासपोर्ट साईज का एक फोटो। 8. मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड। 9. बैंक खाता पासबुक की प्रति (IFSC Code, बैंक का नाम, खाताधारक का नाम सहित)। 10. आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं अधिभार शुल्क की राशि। 11. वाहन स्वामी का शपथ पत्र जिसमें वाहन परमिट से आवृत है अथवा परमिट से आवृत नहीं है का स्पष्ट उल्लेख हो। 12. शर्तेः— (i) आवेदन के साथ अपलोड करने वाले सभी कागजात अद्यतन एवं वाहन स्वामी द्वारा स्वहस्ताक्षरित रहे। (ii) सभी कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। (iii) समय-सारणी में किसी प्रकार का कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए। (iv) समय-सारणी 24 घंटे (रेलवे के समय-सारणी के अनुरूप) अथवा अपराह्न-पूर्वाहन

के अनुरूप प्रारूप होना चाहिए। (v) आवेदन पत्र पर वाहन स्वामी का मोबाइल नम्बर निश्चित रूप से अंकित किया जाय। (vi) आवेदन में अधिसूचित मार्ग की संख्या का अंकन स्पष्ट रूप में होना आवश्यक है। (vii) समय-सारणी पर वाहन स्वामी का नाम, हस्ताक्षर, वाहन संख्या, मार्ग संख्या एवं मार्ग जिन प्राधिकारों के अन्तर्गत पड़ते हैं, उन प्राधिकारों के नाम का स्पष्ट रूप से अंकन होना आवश्यक है।

- यह सुनिश्चित किया जाय कि यदि कोई वाहन किसी अन्य वाहन से पहले प्रस्थान करती है अथवा बाद में प्रस्थान करती है तो वे वाहन संचालित मार्ग के अन्तर्गत अपने से आगे-आगे चलने वाले वाहन को किसी भी परिस्थिति में एक दुसरे को क्रॉस (आगे निकलना) नहीं करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदित समय-सारणी से किसी अन्य वाहन स्वामी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े तथा यात्रा करने वाले आम-जन को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। यदि उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर प्राधिकार के बैठक में ऐसा परिलक्षित होता है तो इस प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्गत समय-सारणी (आगमन-प्रस्थान) हेतु दिशा-निदेशों आदि को शिखित करते हुए प्राधिकार परमिट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- स्टेज कैरेज परमिट नवीकरण हेतु उपरोक्त शर्तों के अनुसार आवेदन एवं शुल्क के साथ हार्ड कॉपी आवेदन-पेटीका में जमा करें।

(अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल के आदेशानुसार)

१७/-

आयुक्त के सचिव
—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :— जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज, 2. उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, सारण प्रमंडल, छपरा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु 3. प्रमंडलीय प्रबंधक, बी० एस० आर० टी० सी० छपरा 4. प्रमंडल के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के प्रतिनिधियों को सूचनार्थ। 5. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार पट्टना को सादर सूचनार्थ। 6. आयुक्त, सारण प्रमंडल, के गोपनीय कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८/-

आयुक्त के सचिव
—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक 166 दिनांक ३१.१०.२०२३

प्रतिलिपि :— श्री रितेश कुमार, आई०टी० सहायक, आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि डी०आई०ओ० सारण से समन्वय स्थापित कर आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के वेवसाईट पोर्टल के आर०टी०ए०, सारण के सेक्सन पर सूचना को अपलोड करवाना सूनिश्चित करेंगे।

१०००.१०.२३

आयुक्त के सचिव
—सह—

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।

(3)